राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1473/2024

प्रमोद कुमार मीना

–अपीलार्थी

बनाम

1. अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण नि.लि., विद्युत भवन, जयपुर।
2. शासन सचिव (प्रशासन), राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण नि.लि., विद्युत भवन, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण नि.लि., विद्युत भवन, ज्योति नगर, जयपुर।
4. रविन्द्र कुमार सेन, एईएन 765 केवी जीएसएस, अंता, बांरा।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 09.04.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री मुनेश भारद्वाज, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक अभियंता के पद पर कार्यालय AEN (765 KV GSS) अंता बांरा में कार्यरत है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा वर्तमान पदस्थापित स्थान से AEN (220 KV GSS) हिंडोन में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि आलौच्य आदेश के द्वारा निजी प्रत्यर्थी रविन्द्र कुमार सैन का स्थानांतरण अपीलार्थी के स्थान पर किया गया है। इस प्रकार निजी प्रत्यर्थी को लाभ देने की गरज से एवं अपीलार्थी के स्थान पर समंजन करने की दृष्टि से अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि वास्तव में आदेश दिनांक 22.02.2024 को पारित नहीं किया गया है, बल्कि बाद में स्थानांतरण पर प्रतिबंध की अवधि में पारित किया गया है। परंतु दुर्भावनापूर्वक आलोच्य आदेश में पिछली तारिख 22.02.2024 अंकित करते हुए आदेश पारित किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी को दिनांक 26.03.2024 को कार्यमुक्त किया गया, जबकि आलोच्य आदेश में तुरंत प्रभाव से स्थानांतरण अमल में लाने के निर्देश दिये गये थे। ऐसे में प्रकट हेाता है कि दिनांक 22.02.2024 को आदेश पारित नहीं किया गया है, बल्कि मार्च माह में पारित

किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि निजी प्रत्यर्थी ने दिनांक 15.03.2024 को कार्यग्रहण किया और अपीलार्थी को दिनांक 16.03.2024 को कार्यमुक्त किया गया। ऐसे में प्रकट होता है कि उक्त आदेश दिनांक 22.02.2024 को पारित नहीं किया गया था, बल्कि बाद में पारित किया गया था।

3. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।

4. आलोच्य आदेश के अवलोकन से प्रकट होता है कि आदेश में दिनांक 22.02.2024 अंकित है और जारी करने वाले अधिकारी के भी हस्ताक्षर के नीचे दिनांक 22.02.2024 अंकित है। केवलमात्र इस आधार पर की अपीलार्थी को 16.03.2024 को कार्यमुक्त किया गया है, इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि दिनांक 22.02.2024 को स्थानांतरण आदेश पारित नहीं किया गया हो। नियोक्ता को अधिकार है कि वह अपने विवेक से यह निर्णय ले सकता है कि प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टिगत किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर लेनी है। नियोक्ता द्वारा लिए गए निर्णय में तभी हस्तक्षेप किया जा सकता, जब वह निर्णय नियम विरूद्ध हो अथवा कोई दुर्भावना से प्रेरित हो। हम आलोच्य आदेश में कोई नियम विरूद्धता या दुर्भावना होना नहीं पाते है।

5. उपर्युक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल नहीं पाते है। अतः अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)